

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 419
No. 17]	DELHI, THURSDAY, JANUARY, 18, 2018/PAUSHA 28, 1939	[N.C.T.D. No. 419

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

सं. एफ. 3(16)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/36.—दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 3) एवं दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, निम्नलिखित अधिकारी को उक्त अधिनियमों के तहत आयुक्त, राज्य कर एवं मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सहायता हेतु अधिनियमों के लागू होने तथा पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थातः—

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पदनाम	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत पदनाम
1	विवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस.	13.11.2017	विशेष आयुक्त, राज्य कर	विशेष आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उपसचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th January, 2018

No. F. 3(16)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/36.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act-03 of 2017) and in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following officer for discharging of statutory duties under these Act with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of State Tax and Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Acts namely:

S.No.	Name of the Officer	Date of Joining	Designation under Delhi Goods and Service Tax Act, 2017	Designation under Delhi Value Added Tax Act, 2004
1.	VIRENDRA KUMAR, IAS	13.11.17	Special Commissioner of State Tax	Special Commissioner of Value Added Tax

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)